88 साल बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को यातायात और ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए माउंटेड पुलिस यूनिट यानी घुड़सवारी दस्ता मिलेगा। 1932 में बढ़ते वाहनों के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

न्यूज गैलरी

नौसेना को जल्द मिलेगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कवरत्ती

कोलकाता : नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'आइएनएस कवरत्ती' जल्द मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम गार्डेनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसइ) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रीयर एडमिरल वीके सक्सेना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रडार की पकड़ में नहीं आने वाले इस युद्धपोत से नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। 'कवरत्ती' उन चार पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की श्रेणी में से अंतिम है, जिनका निर्माण जीआरएसइ ने परियोजना 'पी28' के तहत भारतीय नौसेना के लिए किया है। इस पोत के सभी परीक्षण सफल रहे हैं और पूरे हो चुके हैं। हमारी इसे इस महीने के अंत तक सौंपने की योजना है। कवरत्ती जीआरएसइ द्वारा निर्मित 104वां पोत होगा। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह युद्धपोत परमाणु, रासायनिक तथा जैविक युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। बाकी तीन रडार रोधी और पनडुब्बी रोधी पोतों के नाम हैं-आइएनएस कमोर्ता, आइएनएस कदमत और आइएनएस किलतान। ये नाम लक्षद्वीप द्वीपसमूह के द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं। (जासं)

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर (किन्नर) संरक्षण कानून 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून ट्रांसजेंडर के स्वयं की पहचान के अधिकार को सीमित करता है। यह याचिका ट्रांसजेंडरों के हितों के लिए काम करने वाली स्वाती बिधान बरुआ ने दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस कानून में ट्रांसजेंडर के स्वयं की पहचान के अधिकार का हनन होता है। यह कानून ट्रांसजेंडर को स्टेट से प्रमाणपत्र लेने की बात कहता है जो कि गलत है। किसी ट्रांसजेंडर को प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में किसी गैर ट्रांसजेंडर को कैसे शामिल किया जा सकता है? इस कानून से ट्रांसजेंडर के निजता के अधिकार का भी हनन होता है। याचिका में कई अन्य सवाल भी उठाए गए हैं। (जाब्यू)

विपक्ष को पीएम मोदी को भला-बुरा कहने वाले मुस्लिम पसंद : भाजपा

अदनान सामी : पद्मश्री मामला ▸ कांग्रेस-राकांपा ने सामी के पिता का हवाला दे फैसले पर उठाए सवाल

भाजपा ने कहा- सोनिया गांधी के पिता तो मुसोलिनी-हिटलर से जुड़े थे, फिर उन्हें क्यों दी गई नागरिकता

नई दिल्ली, एजेंसियां : पाकिस्तानी मूल के हिंदुस्तानी गायक अदनान सामी को पद्म श्री देने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष को वे मुस्लिम ही पसंद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय सेना, सुप्रीम कोर्ट और देश के लोकतंत्र को भला-बुरा कहते हैं।

अदनान सामी को पद्म श्री पुरस्कार के लिए एकदम योग्य बताते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, 'वे देशद्रोहियों को स्वीकार करते हैं और अच्छे मुस्लिमों को छोड़ देते हैं।' अदनान सामी को 2016 में भारत की नागरिकता दी गई थी। प्रेस कांफ्रेंस में पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया

संबित पात्रा फाइल फोटो

गांधी के पिता इटली के तानाशाह मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह हिटलर के शासन से जुड़े थे, फिर उन्हें क्यों भारत की नागरिकता दी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अदनान सामी के पिता पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट थे और भारत के खिलाफ 1965 की लड़ाई में हिस्सा लिया था।

पात्रा ने कहा कि तथाकथित उदारवादी और तौहीनबाग वाले (भाजपा शाहीन बाग को तौहीन बाग कह रही है) सोनिया गांधी का जिक्र आने पर उन्हें उनके पिता से अलग करते हैं। संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु से उसके बेटे को अलग करते हैं, लेकिन अदनान सामी को उनके पिता से जोड़ रहे हैं। ये इनका दोहरापन है।

पात्रा ने अदनान सामी की मां नौरीन खान की पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया, जो जम्मू की रहने वाली थीं। पात्रा ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वह जम्मू की मुस्लिम महिलाओं की इज्जत नहीं करती है।

सामी के समर्थन में पासवान : लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने भी अदनान सामी को पद्म श्री देने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सामी ने देश का मान बढ़ाया है।

राकांपा बोली, सामी को सम्मान, भारतीयों का अपमान : राकांपा प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि अदनान सामी को पद्म श्री देना 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मोदी सरकार सीएए से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। मलिक ने कहा कि अगर कोई भी पाकिस्तानी 'जय मोदी' का नारा लगाएगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी।

अदनाम पर बंटी कांग्रेस : कांग्रेस ने भी सामी को पद्म पुरस्कार देने का विरोध किया है। लेकिन पार्टी के अंदर इस मसले पर मतभेद भी नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं दिग्विजय सिंह ने सामी को बधाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अदनान सामी को भारत की नागरिकता देने की सिफारिश की थी।

कांग्रेस ने सनाउल्ला का दिया हवाला : शेरगिल ने कहा कि कारगिल में भारत की तरफ से लड़ने वाले असम के मोहम्मद सनाउल्ला को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में विदेशी घोषित कर दिया गया है, जबकि भारत पर बम गिराने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी के बेटे को भारत की नागरिकता देने के साथ ही सम्मान भी दिया जा रहा है।

अदनान का शेरगिल को जवाब : सामी ने ट्विटर के जरिए जयवीर शेरगिल को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, 'हे बच्चा, क्या तुमने 'क्लीयरेंस सेल' से अपना दिमाग पाया है या किसी सेकेंड हैंड नॉवेल्टी स्टोर से? क्या बर्कले में उन्होंने तुम्हे यही पढ़ाया है कि एक पुत्र अपने पिता के कार्यों के लिए जिम्मेदार और दोषी होता है।'

मुसलमानों को उनके समाज के लोग ही डरा रहे : भागवत

▸ संघ प्रमुख ने जाति और वर्ग विभेद को बताया अभिशाप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मुसलमानों को उनके समाज के लोग ही डरा रहे हैं। कानून के प्रारूप पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस डर और भ्रम को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को ही आगे आना होगा।

संघ प्रमुख ने यह विचार रविवार देर शाम गोरखपुर में लोगों से बातचीत के दौरान साझा किया। हालांकि, सीएए को लेकर लोगों की ओर से रखे गए कई सवालों को यह कहकर टाल गए कि यह राजनीतिक मसला है, इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जाति व वर्ग विभेद को समाज के लिए अभिशाप बताया। इस विभेद के चलते ही दलितों की लंबे समय तक उपेक्षा हुई है। विभेद का कोई यथोचित तर्क नहीं है, इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में सभी वर्गों के लोगों को अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। आमदनी का एक हिस्सा समाज पर खर्च करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र के चार दिवसीय कार्यकर्ता बैठक के आखिरी दिन सोमवार को मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को संघ के कार्य विस्तार की जानकारी दी। कहा कि किसी भी कार्य के विस्तार को लेकर जितना जरूरी चिंतन, मनन, निर्णय व योजना है, उतना ही जरूरी उसे परिश्रम के साथ पूरा करना भी है। छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से संघ संस्कार देता है। इस संस्कार के साथ जो कार्यकर्ता निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता है।

मोहन भागवत। फाइल

मोहन भागवत से मिले योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात कर उन्हें कुंभ से संबंधित पुस्तक और सीएए से जुड़ी बुकलेट भेंट की। संघ प्रमुख ने गणतंत्र दिवस पर सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में झंडारोहण भी किया।

राज्यों में लागू होने वाली उच्च शिक्षा योजना में धांधली

▸ मंत्रालय ने केंद्रीय योजना में अनियमितताओं का संज्ञान लिया

▸ टिस ने अपने आंतरिक ऑडिट में पाई अनियमितताएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संभवतः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे का संज्ञान लिया है। रूसा राज्यों के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा योजना है। इस योजना पर अमल करने वाली एजेंसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने अपने आंतरिक ऑडिट में अनियमितताएं पाईं हैं। इस पर अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है।

सूत्रों के अनुसार इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना में अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भी संपर्क किया है। इस मामले में एक पूर्व संयुक्त सचिव और टिस के एक प्रोफेसर के धांधली करने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार राज्यों के लिए संचालित केंद्र की इस उच्च शिक्षा योजना में टिस के ऑडिट में दो करोड़ रुपये से अधिक के खर्च में गंभीर अनियमितताओं का पता चला है। जहां देश-विदेश में सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित करने समेत

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। फाइल

अनेक मकसद से समय-समय पर अग्रिम राशि निकाली गई है। एक सूत्र के अनुसार ऑडिट में पता चला कि निकाली गई अग्रिम राशि और मंत्रालय को जमा किए गए बिल एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। इससे कथित साठगांठ की ओर इशारा होता है। मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई जिसने इसका संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर 2013 में शुरू की गई रूसा योजना का उद्देश्य राज्यों में उच्च शिक्षा को सुधारना है। टिस इस योजना को लागू करने वाला निजी संस्थान है।

माल्या की लक्जरी याट को बेचने का आदेश

लंदन, प्रेट्र : लक्जरी लाइफ स्टाइल के लिए ख्यात भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट ने सोमवार को झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि फोर्स इंडिया के स्वामित्व वाली लक्जरी याट को बेचा जाए और उससे प्राप्त धनराशि से कतर नेशनल बैंक का कर्ज चुकाया जाए। याट बैंक के पास बंधक (मॉरगेज) है लेकिन उसका परोक्ष स्वामी विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या है। लंदन की हाई कोर्ट में बैंक ने बताया कि उसका करीब 47 करोड़ रुपये का कर्ज विजय माल्या की संबद्धता वाली कंपनी पर है। इस कर्ज को लेने के लिए विजय माल्या ने बैंक को अपनी पर्सनल गारंटी दी थी। इस लिहाज से कर्ज न चुकाए जाने पर वह सीधे जिम्मेदार बनते हैं।

हाई कोर्ट के जज नीजेल टेयर ने बैंक के इस दावे को स्वीकार किया। कहा कि इससे कर्ज लेने वाले से उनके नजदीकी रिश्ते का भी पता चलता है। इसलिए बैंक उनकी संपत्ति से कर्ज की धनराशि, उस पर ब्याज और वसूली में खर्च होने वाला धन वसूलने का हकदार है। यह धनराशि करीब छह मिलियन यूरो बनती है। आदेश में लिखा गया है कि याट की स्वामी फोर्स इंडिया कंपनी सुनवाई के दौरान नहीं आई।

रक्षा मंत्री ने कहा-कोई ताकत नहीं रोक सकती कश्मीरी पंडितों की घर वापसी

▸ राजनाथ ने किया जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का बचाव

▸ कहा-हमें कोई परेशान करता है, तो हम उसे शांति से रहने नहीं देंगे

मंगलुरु, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले का जोरदार बचाव करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब कोई ताकत कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं रोक सकती। सोमवार को कर्नाटक के मंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि भारत को नुकसान पहुंचाया गया, तो वह भी ऐसा करने वाले को शांति से रहने नहीं देगा। उन्होंने कहा, 'हम किसी को छुएंगे नहीं, लेकिन यदि हमें कोई परेशान करता है, तो हम उसे शांति से रहने भी नहीं देंगे।'

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संबंध में उन्होंने कहा कि यह किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करने का कानून नहीं है, बल्कि यह धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हिंदुओं, सिखों के भारत आने पर उन्हें नागरिकता देने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र

कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (मध्य में) का सोमवार को सीएए के समर्थन में एक रैली के दौरान अभिनंदन किया गया। प्रेट्र

मोदी ने उसी सोच को पूरा किया। कई गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा सीएए को लागू करने से इन्कार करने के संबंध में राजनाथ ने कहा कि यह एक केंद्रीय कानून है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। कांग्रेस पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उसे राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य बस इसलिए नहीं भूल जाना चाहिए कि वह विपक्ष में है।

केंद्र व राज्य 1500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे

प्रथम पृष्ठ से आगे

समझौते में सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) को बदलकर बोडोलैंड क्षेत्रीय एरिया नाम दिया जाएगा और उसकी शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। यहां की सीटों का विस्तार 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। असम सरकार और बोडो क्षेत्रीय एरिया के प्रशासक की अधिकारों की सूची के स्पष्ट बंटवारे का भी प्रावधान है। बोडो क्षेत्र के विकास के लिए तीन सालों में केंद्र और राज्य सरकार 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही सरकार ने समझौते में उस इलाके में केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान खोलने का वादा किया है।

50 बोडो अलगाववादी कैडर ने म्यांमार में अंतिम शिविर छोड़ा

अमित शाह ने कहा कि 1972 में शुरू हुए इस आंदोलन में चार हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब इस ऐतिहासिक समझौते के साथ असम में स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी। इस महीने के शुरू में लगभग 50 बोडो अलगाववादी कैडर ने म्यांमार में अंतिम शिविर को छोड़कर भारत में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पिछले हफ्ते 644 बोडो कैडर ने आत्मसमर्पण किया था। 2014 में बोडो अलगाववादियों के हाथों 71 आदिवासियों की हत्या के पांच साल बाद हुए शांति समझौते को काफी अहम माना जा रहा है।

पंचनामे की विश्वसनीयता बढ़ाए पुलिस : केंद्र

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे आपराधिक मामलों की न्याय व्यवस्था की खामियों को दूर करने को आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए पंचनामे में दर्ज गवाहों के बयानों को महत्व दिया जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि पंचनामे में कुछ ही लोगों के बार-बार बयान दर्ज न किए जाएं। वही लोग एक से ज्यादा अपराध के चश्मदीद न बनाए जाएं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पंचनामे में जिस भी गवाह का बयान दर्ज किया जाए, उसका आधार नंबर में साथ में लिखा जाए। इससे उसकी पहचान ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। इससे गवाह की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और व्यवस्था में व्याप्त खामी को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इन कदमों से असली गवाह सामने आएंगे और फर्जी गवाह व्यवस्था से दूर जाएंगे। इस तरीके से न्याय व्यवस्था में व्याप्त बहुत बड़ी खामी दूर हो सकेगी। गृह मंत्रालय के परिपत्र में कहा गया है कि शासन व्यवस्था के नियम के अनुसार गवाह इलाके के सम्मानित लोग होने चाहिए जिनकी निष्पक्षता पर आमजन को भरोसा हो।

निकाह हलाला, बहुविवाह को चुनौती देने का विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी

▸ मामले में उसे भी पक्षकार बनाने का किया आग्रह

▸ मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं दोनों प्रथाएं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुसलमानों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह के प्रचलन को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए उसे भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।

मुसलमानों में प्रचलित निकाह हलाला के तहत अगर किसी महिला को उसी पति से दोबारा शादी करनी हो, जिसने उसे तलाक दे दिया हो, तो उसको पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ती है। शादी अमल में आने के बाद वह दूसरा पुरुष महिला को तलाक देता है, जिसके बाद वह महिला अपने पूर्व पति से दोबारा शादी कर सकती है। इसके अलावा मुस्लिम पुरुष एक साथ चार पत्नियां रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें इन दोनों प्रथाओं को मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए चुनौती दी गई है।

इनमें एक याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च, 2018 को

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए मामले को विचार के लिए पांच जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था।

बोर्ड ने अर्जी में कहा है कि वह मुस्लिम मूल्यों और इस्लामिक संस्कृति को बनाए रखने की दिशा में काम करता है। इसलिए कोर्ट को इस मामले में उसका पक्ष भी सुनना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। बोर्ड ने कहा है कि इस याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट 1997 में अहमदाबाद वुमन एक्शन ग्रुप बनाम भारत सरकार मामले में विचार कर चुका है।

उस केस में कोर्ट के सामने दो मुद्दे थे- पहला यह कि क्या बहुविवाह की इजाजत देने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ शून्य है और वह संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? दूसरा कि क्या मुस्लिम पति का एक से अधिक पत्नियां रखना क्रूरता माना जाएगा? उस समय कोर्ट ने इस पर विचार करने से मना कर दिया था और कहा था कि यह राज्य नीति का मामला है, जिसे विधायिका को देखना चाहिए।

बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर आधारित है। उसकी वैधानिकता को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बात कही गई है। लेकिन, यूसीसी लागू करने की बात करने वाला अनुच्छेद 44 संविधान में नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसमें यूसीसी लागू होने तक सभी धर्मों को उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक चलने की इजाजत है।

बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पहले से ही मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट 1986 में संरक्षित हैं और इस कानून को कोर्ट पहले ही वैध ठहरा चुका है।

बोर्ड ने यह भी कहा है कि सामान्य तौर पर दूसरे धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म और उसकी मान्यताओं पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उस धर्म के व्यक्ति को भी सिर्फ जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संरक्षण तक ही धार्मिक आस्था का मसला उठाने की इजाजत होनी चाहिए। यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है। इसलिए बोर्ड को पक्षकार बनाया जाए।

मिर्ची मनी लांड्रिंग मामले में डीएचएफएल प्रमोटर गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वधावन (46) को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बल्लार्ड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर में वधावन से पूछताछ की गई। वधावन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने वधावन को 29 जनवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

अधिकारियों ने बताया कि वधावन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। वधावन पर मामले की जांच में सहयोग नहीं करने, सौदे तथा एजेंसी को दिए गए बयान में अविश्वसनीयता के आरोप हैं। मामला मिर्ची की मुंबई में स्थित संपत्तियों से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि इन संपत्तियों की खरीद मिर्ची ने अपराध से अर्जित धन के जरिये की थी। इस प्रकार की तीन संपत्तियां सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई थीं। सनब्लिंक का संबंध वधावन बंधु कपिल और धीरज से है। आरोप है कि कपिल ने डीएचएफएल के धन को मुखौटा कंपनियों के खाते में हस्तांतरित किया। इसके बाद कंपनियों का सनब्लिंक के साथ विलय करा दिया गया। ईडी ने मिर्ची, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

इंतजार खत्म

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इलाहाबाद, जम्मू व हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विवि में नियुक्ति की शुरू की प्रक्रिया

केंद्रीय विवि को मिलेंगे अब स्थायी कुलपति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्थायी कुलपति के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अस्थायी कुलपति के भरोसे चल रहे देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल इलाहाबाद, जम्मू और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर विज्ञापन जारी किए गए हैं। योग्य उम्मीदवारों से एक महीने के भीतर आवेदन करने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हाल ही में इस्तीफे के बाद कुलपति का पद खाली हुआ है।

इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के ऐसे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का भी ब्योरा तलब किया है, जहां लंबे समय से स्थायी कुलपति नहीं हैं। फिलहाल इनमें त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे केंद्रीय विवि के नाम सामने आए हैं। देश में मौजूदा समय में 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो केंद्रीय विवि की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

मंत्रालय ने यह कवायद उस समय शुरू की है, जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े 70 फीसद से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनकी नियुक्ति के आदेश जारी करने का काम चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्थायी कुलपति मिलने से सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां तेज होंगी जो विश्वस्तरीय रैंकिंग की प्रतिस्पर्धा में जगह बनाने में मदद करेंगी। केंद्रीय विवि में शिक्षकों के करीब आठ हजार पद खाली थे। हालांकि इनमें अभी भी इलाहाबाद विवि जैसे कई विवि में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी हुई है। माना जा रहा है कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति के बाद शिक्षकों की कमी भी खत्म हो जाएगी।

स्थायी कुलपति के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उनमें कुलपति का वेतन प्रतिमाह 2.10 लाख रुपए तय किया गया है। इसके साथ ही उन्हें विवि नियमों के मुताबिक, मानदेय दिए जाएंगे।

स्मार्ट सिटी पर जून में रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी केंद्र सरकार

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : केंद्र सरकार जून में 100 चुने हुए स्मार्ट शहरों की तीन श्रेणियों में सूची जारी करेगी। जीवन की सुगमता, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक और जलवायु श्रेणियों पर सूची जारी होगी। स्मार्ट सिटीज मिशन के पांच वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, यह शहरों को बेहतर योजना बनाने और डाटा-ड्राइवन शासन की ओर ले जाने में मदद करेगा जो अंततः उनकी जीविका में सुधार करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने कहा कि जून में मंत्रालय रैंकिंग के साथ सामने आएगा। उन्होंने कहा, 'जीवन बदलने के लिए हम डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार शहरों की अर्थव्यवस्था, स्थिरता एवं अन्य पर रैंकिंग कर रही है। हमने नागरिकों की आकांक्षाओं को परिणाम में बदल दिया है।' कुमार ने कहा कि जलवायु श्रेणी में शहरों की रैंकिंग पर्यावरण से संबंधित मामलों को प्रोत्साहन में उनके काम पर आधारित रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार का प्रमुख कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में लांच किया गया था।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
राजनीति विज्ञान
भारतीय विचारक (Optional)
से कक्षा प्रारम्भ... 4 FEB 2020 | 3:00 PM 5:30 PM
GS (प्रारम्भिक परीक्षा) POLITY (PT)
राजव्यवस्था
सरकार से कक्षा प्रारम्भ... 4 FEB 2020 | 6:15 PM 8:15 PM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58